न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सुपौल।

करजाईन थाना काण्ड संख्या–54/2026

जमानत आवेदन संख्या–409/2026

सरोज कुमार मेहता, उम्र करीब–30 वर्ष, पिता–नारायण मेहता साकिन–सीतापुर वार्ड नं0–01, थाना–करजाईन, जिला–सुपौल।

...आवेदक अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार सरकार...विपक्षी।

23.07.2026

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त **सरोज कुमार मेहता** की ओर से दाखिल किया गया है, जो करजाईन थाना कांड संख्या–54/2026 अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 132, 121, 121(1), 263, 109(1), 324(4), 74, 3(5) बी0एन0एस0 के अधीन दर्ज काण्ड में दिनांक–14.05.2026 से कारा में संसीमित है एवं जिनका यह वाद श्रीमान् मो0 रमीजूर रहमान, न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर के न्यायालय में लंबित है।

जमानत आवेदन के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अमर कुमार दास को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन से पूर्व इस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में करजाईन थाना कांड संख्या–18/21 आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जिसमें आवेदक अभियुक्त अप्राथमिकी अभियुक्त था। प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सिपाही के उंगली में दांत काटने का आरोप आरोपित किया गया है। आवेदक अभियुक्त वर्तमान झूठा मुकदमा में बेवजह दिनांक 14.05.2026 से जेल हाजत में बंद है। अतः अभियुक्त आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हुये निवेदित किये हैं कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

संक्षेप में अभियोजन का प्रकरण यह है कि सूचक पु0अ0नि0 सह थानाध्यक्ष करजाईन थाना मनीष कुमार दिनांक–25.03.2026 को समय 23:15 बजे लंबित वारंट, लंबित कांडों के वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी एवं शराब बरामदगी हेतू पुलिस अधीक्षक महोदय, सुपौल का वितुत संवाद संख्या–1124/गो0 दिनांक 25.03.2026 के आलोक में समकालीन अभियान में सशस्त्र बल के साथ थाना से पुलिस वाहन से प्रस्थान किया। दिनांक 25.03.2026 के रात्री में समय 01:45 बजे करजाईन थाना कांड सं0–18/21 के अप्राथमिकी अभियुक्त सरोज मेहता एवं करजाईन थाना कांड संख्या–125/25 के प्राथमिकी अभियुक्त धीरज कुमार मेहता के घर पर पहुंचे तथा उसके घर को घेराबंदी कर छापेमारी किया। आवेदक अभियुक्त सरोज कुमार महता घर पर उपस्थित मिले जिन्हें यह बताते हुए कि कांड सं0–18/21 में जप्त मोटरसाईकिल, निबंधन संख्या बी.आर.50आर.1202, आपके नाम का है तथा इस कांड में आपकी संलिप्ता पायी गयी है, इसी आरोप में आपका गिरफ्तार किया जाता है। इतना सुनते ही आवेदक अभियुक्त सरोज कुमार मेहता चिल्लाने लगा एवं विरोध

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सुपौल।

करजाईन थाना काण्ड संख्या–54 / 2026

<table>
<tr>
<td><u>लगातार</u>
23.07.2026</td>
<td>करने लगा हल्ला सुनकर सहअभियुक्तगण प्रीति कुमारी, शकुन्तला देवी, सोनी कुमारी, महेन्द्र मेहता एवं 3–4 अज्ञात व्यक्ति अचानक अपने हाथ में लाठी, फट्ठा, कुदाल आदी लेकर आ गये और सभी पुलिस कर्मी पर जानलेवा हमला करने लगे। सूचक द्वारा समझाने के बावजूद भी उक्त लोग शांत नहीं हो रहे थे तथा आक्रामक होकर सूचक के उपर लाठी, फट्ठा से मारना शुरू कर दिये। सिपाही संतोष पासवान, बीच–बचाव में आया तो उस पर भी उक्त सभी लोग जानलेवा हमला कर दिया तथा अपने बचाव में आवेदक अभियुक्त सरोज कुमार मेहता के मुंह पर झटकाा देकर अलग किया। उसके आंख के पास थोड़ी सी चोट लग गयी। सह–आरोपी नारायण मेहता अपने गोहाल से एक धारादार कुदाल निकालकर स0अ0नि0 संतोष पासवान के सिर पर जान मारेन क नियत से प्रहार किया, जिससे अपने हाथ से बचाव किया तो वह प्रहार उनके जांघ पर लगा। सह–आरोपी महेन्द्र मेहता लाठी से स0अ0नि0 संतोष पासवान को जांघ पर मारेन लगा सिपाही संतोष कुमार के हाथ पर प्रहार किया। सूचक के वर्दी में लगा नेम प्लेट नोच कर तोड़ दिया एवं महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ भी अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया तथा धक्का मुक्की किया। उक्त घटना कारित करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया, तो वे लोग अंधेरा का फायदा उठाकर गॉव की ओर भाग गये। तत्पश्चात आवेदक अभियुक्त सरोज कुमार मेहता विधिवत गिरफ्तारी उपरांत अपने टीम के साथ थाना आया।

सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, पुलिस कर्मियों पर हमला कर जख्मी करने तथा महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 02 में वादी का पुनर्बयान एवं कंडिका 3, 4, 5 में साक्षियों का बयान अंकित है, जिन्होंने घटना का समर्थन किया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 109 के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत काण्ड में पु0अ0नि0 मनीष कुमार, पु0अ0नि0 अनिल चौधरी एवं स0अ0नि0 संतोष पासवान एवं अन्य सिपाही संतोष पासवान जख्म कारित हुआ है। कंडिका 68 में आपराधिक इतिहास का वर्णन है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त सरोज कुमार मेहता के विरूद्ध पूर्व से करजाईन थाना कांड सं0–18 / 2021 दर्ज है। अभी वाद अनुसंधानरत् है। अतः ऐसी परिस्थितियों में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप;

आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

(कुमार कौशल किशोर)
अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ
प्रभारी न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय
सुपौल</td>
<td>लगातार</td>
</tr>
</table>